अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2003

का.आ. 1257(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की विनांक 3 अक्तूबर,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 698 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने माता अमृतानन्दामयी चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतापुरी पोस्ट ऑफिस, कोवलम जिला,केरल-690525 द्वारा अखिल भारत में भूमि विकास तथा " अमृता कुटीरम" -5000 आवासों के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 1 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 874 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि, उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड

के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा 1400.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत को बढ़ाकर 7400.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए : -

(क) एतद्द्वारा माता अमृतानन्दामयी चैरिटेबल ट्रस्ट, अमृतापुरी पोस्ट ऑफिस, कोवलम जिला, केरल-690525 द्वारा अखिल भारत में भूमि विकास तथा " अमृता कुटीरम" -5000 आवासों के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, तथा

(ख) दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 698 (अ0) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, नामतः

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं0 1 के सामने लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में जो धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जानी है, इसमें "1400.00 लाख रुपए" के स्थान पर "7400.00 लाख रुपए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 269-2003/फा. सं. एन.सी. 224/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव, राष्ट्रीय समिति